




**ZONAL DEVELOPMENT PLAN
PLANNING ZONE 16
PROPOSED LAND USE**



- LEGEND**
- RESIDENTIAL
 - COMMERCIAL
 - MIXED USE
 - GOVERNMENT & SEMI GOVERNMENT
 - INDUSTRIAL
 - RECREATIONAL
 - 1 PARK
 - 2 OTHER RECREATIONAL
 - PUBLIC & SEMI-PUBLIC
 - CREMATION/BURIAL GROUND
 - SEZ
 - Tourist Facility
 - U2_HIZ
 - U2_LIZ
 - U3HIZ
 - U3LIZ
- Ecological Zone**
- NALLAH / RIVER
 - G2
 - Forest /R.F./P.F./Hills
 - Rural
 - Boundary Planning Zone
 - Commitment Boundary
 - CIRCULATION
 - ROAD
 - MDP RING ROAD
 - RAILWAYLINE (BROAD GAUGE)
 - VUP & PUP (UNDER PASS)
 - H T LINE
 - GAS LINE
 - TOWNSHIPS

नोट :-

1. अनुमोदित जोनल विकास योजना का मानचित्र, पूर्व में जारी सैक्टर प्लान इत्यादि को प्राधिकरण कार्यों के लिए प्रभावी रूप से (SUPERSEDE) सुपरसीड करेगा।
2. अनुमोदित जोनल विकास योजना में भविष्य में कोई विषमता या विशेष स्थिति आने पर बीपीसी (ले-आउट प्लान) के स्तर पर आपत्ति-सुझाव आमंत्रित करके संशोधित किया जाये जिसका अनुमोदन पत्रावली पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा करवाया जाकर निस्तारण किया जायेगा।
3. जोनल विकास योजना में कोई 24 मीटर एवं अधिक चौड़ाई की सड़क आबादी में से गुजर रही हो, तो इस स्थिति में पुरानी आबादी के क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई को 18 मीटर माना जाये।
4. मौके पर अवस्थित रास्ता/रेवेन्यू रास्ता होने पर कोई विकास प्रस्ताव प्राप्त होता है तो प्रस्ताव की पूर्ण जाँच कर बीपीसी (ले-आउट प्लान) के स्तर पर निर्णय लिया जाये।
5. मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई 360 मीटर चौड़ाई की रिंग रोड का निर्माण अब एन.एच.ए. आई द्वारा किया जा रहा है व इसका अलाईन्मेंट बदला जा रहा है। अतः 360 मीटर के मध्य से दोनों ओर 30-30 मीटर लेकर 60 मीटर सड़क का अलाईन्मेंट दर्शाया गया है।
6. जविप्रा के जोन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाये गये कमिटमेंट्स को जोनल विकास योजना में अंकित कर दिया गया है, यदि कोई कमिटमेंट्स त्रुटिवश अंकित होने से रह गये हैं, तो उनको Honour करते हुए आपेक्षित कार्यवाही की जाये।
7. जोनल विकास योजनाओं में मास्टर विकास योजना-2025 व सेक्टर प्लान की सड़कों को यथास्थिति अनुसार रखा गया है, तथा जहाँ सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ आंशिक बदलाव के साथ मौका स्थिति अनुसार रखा गया है, जहाँ आबादी, श्मशान, स्कूल इत्यादि हैं। वहाँ इनको बचाते हुए आंशिक संशोधन के साथ अंकित किया गया है।
8. जोनल विकास योजना में अन्य राजकीय यथा: रीको, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर नगर निगम इत्यादि से प्राप्त योजनाएँ/कमिटमेंट्स को अंकित कर दिया गया है।
9. जोनल विकास योजना-16 के क्षेत्र में आ रही एच.टी. लाइन व रेलवे लाईन से नियमानुसार सुझा दूरी छोड़ी जायेगी।
10. प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011 के अनुसार मास्टर विकास योजना-2025 में व्यवसायिक भू-उपयोग की 21 सड़कें एवं मिश्रित भू-उपयोग की 41 सड़कें सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें जोनल विकास योजना में समायोजित किया गया है। शेष सड़कों को जविप्रा के आदेश क्रमांक डी-583 दिनांक 11.08.03 के अनुसार सड़क के सहारे की सैक्टर रोड व्यवसायिक पट्टी माना जाये।



Zonal Plan approved vide 64th Authority Meeting dated 22-05-2018
DRG.NO. R/ZP/JDA/2018/ 35